राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3 महात्मा गांधी नरेगा)

क्र. एफ 11(8)ग्रावि/नरेगा/पद सृजन/2010/पार्ट–I   जयपुर, दिनांक : 11 SEP

कार्यालय–आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22.08.2013 के द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी कियान्वयन एवं प्रबन्धन हेतु राज्य स्तर पर गठित राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद तथा सभी जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों में संविदा/प्रतिनियुक्ति आधार पर सृजित पदों की अवधि निरन्तर जारी रखते हुए दिनांक 28.02.2014 या नियमित कार्मिक उपलब्ध होने, जो भी पहले हो तक के लिए बढाये जाने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी।

पंचायती राज विभाग द्वारा कनिष्ठ लिपिकों को दी गई नियुक्ति एवं इन सभी कनिष्ठ लिपिकों को मनरेगा योजना में प्रतिनियुक्ति पर लेने के परिपेक्ष्य में जारी समसंख्यक कार्यालय आदेश दिनांक 22.08.2013 द्वारा राज्य स्तर, जिला स्तर, पंचायत समिति स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर सृजित डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कम्प्यूटर ऑपरेटर विथ मशीन,एवं ग्राम रोजगार सहायक के पदों में नियमानुसार **आंशिक संशोधन** किया जाता है :–

(अ) राज्य स्तर पर स्वीकृत पद :–

क्र. सं.	पदनाम	पद पर नियोजन की प्रकृति	स्वीकृत पद	कुल स्वीकृत पद
1.	कनिष्ठ लिपिक (मनरेगा)	प्रतिनियुक्ति	10	10
2.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	संविदा/सेवा एजेन्सी के माध्यम से	10	10
कुल पद				**20**

(ब) जिला परिषद स्तर पर स्वीकृत पद :–

क्र. सं.	पदनाम	पद पर नियोजन की प्रकृति	स्वीकृत पद	कुल स्वीकृत पद
1.	कनिष्ठ लिपिक (मनरेगा)	प्रतिनियुक्ति	3	99
2.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	संविदा	2	66
कुल पद				**165**

(स) पंचायत समिति स्तर पर स्वीकृत पद :–

क्र. सं.	पदनाम	पद पर नियोजन की प्रकृति	स्वीकृत पद	कुल स्वीकृत पद
1.	कनिष्ठ लिपिक (मनरेगा)	प्रतिनियुक्ति	3	747
2.	कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	संविदा	2	498
कुल पद				**1245**

(द) ग्राम पंचायत स्तर पर स्वीकृत पद :—

क्र. सं.	पदनाम	पद पर नियोजन की प्रकृति	स्वीकृत पद	कुल स्वीकृत पद
1.	कनिष्ठ लिपिक (मनरेगा)	प्रतिनियुक्ति	1	9168
2.	ग्राम रोजगार सहायक/ कम्पयूटर ऑपरेटर मय मशीन	संविदा/सेवा एजेन्सी के माध्यम से	1	9168
कुल पद				**18336**

शेष पदों की स्थिति एवं नियोजन की प्रकृति यथावत रहेगी।

उक्त पदों की समयावधि भी दिनांक 28.02.2014 तक होगी। वित्त विभाग द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि विभाग वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप नरेगा योजना के अन्तर्गत नियमानुसार प्रतिनियुक्ति कर उनके वेतन—भत्तो का भुगतान नरेगा योजना के दिशा—निर्देशों के परिपेक्ष्य में अनुमत प्रशासनिक व्यय से नियमानुसार कराया जाना सुनिश्चित करें।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की **आई.डी. संख्या 101303914** दिनांक 05.09.2013 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

(कुलदीप रांका)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस।
5. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
7. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण, ग्रामीण विकास विभाग।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम), विभाग, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय—5), विभाग, जयपुर।
10. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास (अनुभाग—1) विभाग, जयपुर।
11. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस।
12. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस, समस्त राजस्थान।
13. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
14. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस